मुन्तकिली प्रकरण सं0 83/2017 अनवानी 1–ललित आयु 16वर्ष 2–भारत आयु 14वर्ष पि0 पूर्णराम पुत्र हरूराम जाति नायक नाबालिगान जरिए माता शिमला देवी पत्नि पूर्णराम 3– श्रीमति शिमला देवी पत्नि पूर्ण राम जाति नायक निवासी 4 जी बड़ी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–हरूराम पुत्र आशुराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर 2–पूर्णराम 3–मनीराम 4–भजनलाल 5–एसडीओ रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.01.2018

प्रार्थीगण ललित, भारत नाबालिग जरिये माता श्रीमति शिमलादेवी, प्रार्थीया शिमला देवी व उसके अभिभाषक ज्योति गोस्वामी को रूक रूक कर बार–बार आवाज लगाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आये और न ही प्रार्थीगण की ओर से अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित आया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीया की ओर से उसके औरतजात होने एवं उसकी अप्रार्थीगण से रंजिश होने के कारण उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरण संख्या 130/16 ललित वगैरा बनाम हरूराम धारा 88,91,53,188,92ए,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है।

चूंकि प्रार्थीगण व उसके अभिभाषक ज्योति गोस्वामी को बार बार आवाज लगाने पर उपस्थित नही आये है जिससे प्रतीत होता है कि अब प्रार्थीगण को अपने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में कोई दिलचस्पी नही है। इसलिए प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

सा0/-

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर